रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2008/आश्विन 4, 1930
No. 527] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2008/ASVINA 4, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

सा.का.नि 688(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 14ख के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी पेंशन (द्वितीय संशोधन) योजना, 2008 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नांकित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यदि नियोक्ता केन्द्रीय पेंशन निधि में किसी अंशदान के भुगतान में या अधिनियम अथवा योजना के किसी उपबंध के तहत देय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियोक्ता से दण्ड के रूप में निम्नांकित तालिका में दी गयी दरों से हर्जाने की वसूली करेगा :

तालिका

क्रम सं.	चूक की अवधि	हर्जाने की दरें (वार्षिक बकाए का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
(क)	2 माह से कम	पाँच
(ख)	2 माह और इससे अधिक किन्तु 4 माह से कम	दस
(ग)	4 माह और इससे अधिक किन्तु 6 माह से कम	पन्द्रह
(घ)	6 माह और इससे अधिक	पच्चीस"

(ii) पैराग्राफ 12 के उप-पैराग्राफ (7) में, "तीन प्रतिशत" शब्दों के लिए "चार प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(iii) पैराग्राफ 12क और पैराग्राफ 13 का विलोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस-65015/01/08/एसएस-II]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 16 नवम्बर, 1995 के संख्या सा.का.नि. 748(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और योजना में पिछला संशोधन दिनांक 9 जून, 2008 के संख्या सा.का.नि. 438(अ) द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6A read with sub-section (1) of Section 7 and Section 14B of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995,—

(i) for sub-paragraph (1) of paragraph 5, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Where a employer makes default in the payment of any contribution to the Employees' Pension Fund, or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or the Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover from the employer by way of penalty, damages at the rates given in the table below :—

TABLE

S. No.	Period of default	Rates of damages (percentage of arrears per annum)
(1)	(2)	(3)
(a)	Less than 2 months	Five
(b)	Two months and above but less than four months	Ten
(c)	Four months and above but less than six months	Fifteen
(d)	Six months and above	Twenty Five."

(ii) in sub-paragraph (7) of paragraph 12, for the words "three per cent", the words "four per cent" shall be substituted;

(iii) paragraph 12A and paragraph 13 shall be deleted.

[F. No. S-65015/01/08/SS-II]

S.K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note:—The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748 (E), dated 16th November, 1995 and the Scheme was last amended *vide* number G.S.R. 438(E), dated the 9th June, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

सा.का.नि 689(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 14ख के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) योजना, 2008 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैराग्राफ 32क के उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नांकित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यदि नियोक्ता निधि में किसी अंशदान के भुगतान में या अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) या धारा 17 की उप-धारा (15) के तहत उसके द्वारा अंतरण के लिए अपेक्षित संचयों के अंतरण में या अधिनियम या योजना के उपबंधों अथवा अधिनियम की धारा 17 के तहत विनिर्दिष्ट किसी शर्त के तहत देय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियोक्ता से दण्ड के रूप में निम्नांकित तालिका में दी गयी दरों से हर्जाने की वसूली करेगा :

तालिका

क्रम सं.	चूक की अवधि	हर्जाने की दरें (वार्षिक बकाए का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
(क)	2 माह से कम	पाँच
(ख)	2 माह और इससे अधिक किन्तु 4 माह से कम	दस
(ग)	4 माह और इससे अधिक किन्तु 6 माह से कम	पन्द्रह
(घ)	6 माह और इससे अधिक	पच्चीस"

[फा. सं. एस-35012/01/07/एसएस-II]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 2 सितम्बर, 1952 के संख्या का.नि.आ. 1506 द्वारा प्रकाशित किया गया था और योजना में पिछला संशोधन दिनांक 31 मार्च, 2008 के संख्या सा.का.नि. 253(अ)द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of Section 7 and Section 14B of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' *Provident* Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, for sub-paragraph (1) of paragraph 32A, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Where a employer makes default in the payment of any contribution to the Fund, or in the transfer of accumulations required to be transferred by him under sub-section (2) of Section 15 or sub-section (15) of Section 17 of the Act or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or the Scheme or under any of the conditions specified under Section 17 of the Act, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover from the employer by way of penalty, damages at the rates given in the table below :—

TABLE

S.No.	Period of default	Rates of damages (percentage of arrears per annum)
(1)	(2)	(3)
(a)	Less than 2 months	Five
(b)	Two months and above but less than four months	Ten
(c)	Four months and above but less than six months	Fifteen
(d)	Six months and above	Twenty Five."

[F. No. S-35012/01/07/SS-II]

S.K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note :—The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 1506 dated 2nd September, 1952 and the Scheme was last amended *vide* number G.S.R. 253(E), dated the *31st March, 2008.*

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 690(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 14ख के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2008 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 में पैराग्राफ 8क के उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नांकित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यदि नियोक्ता बीमा निधि में किसी अंशदान के भुगतान में या अधिनियम अथवा योजना के किसी उपबंध के तहत देय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियोक्ता से दण्ड के रूप में निम्नांकित तालिका में दी गयी दरों से हर्जाने की वसूली करेगा :

तालिका

क्रम सं.	चूक की अवधि	हर्जाने की दरें (वार्षिक बकाए का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
(क)	2 माह से कम	पाँच
(ख)	2 माह और इससे अधिक किन्तु 4 माह से कम	दस
(ग)	4 माह और इससे अधिक किन्तु 6 माह से कम	पन्द्रह
(घ)	6 माह और इससे अधिक	पच्चीस"

[फा. सं. एस-35012/1/07/एसएस-II]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

नोट :—कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 28 जुलाई, 1976 के संख्या सा.का.नि. 488(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और योजना में पिछला संशोधन दिनांक 30 मई, 2001 के संख्या सा.का.नि. 398(अ) द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6C, read with sub-section (1) of Section 7 and Section 14B of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit Link Insurance, 1976, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Link Insurance (Amendment) Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Deposit Link Insurance Scheme, 1976, for sub-paragraph (1) of paragraph 8A, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Where a employer makes default in the payment of any contribution to the Insurance Fund, or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or the Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover from the employer by way of penalty, damages at the rates given in the table below :—

TABLE

S.No.	Period of default	Rates of damages (percentage of arrears per annum)
(1)	(2)	(3)
(a)	Less than 2 months	Five
(b)	Two months and above but less than four months	Ten
(c)	Four months and above but less than six months	Fifteen
(d)	Six months and above	Twenty Five."

[F. No. S-35012/01/07/SS-II]

S.K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note :—The Employees' Deposit Link Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 488(E), dated 28th July, 1976 and the Scheme was last amended *vide* number G.S.R. 398(E), dated the 30th May, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.